मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 27-8-2021

क्रमांक एफ 44–4 / 2020 / 20–2:: कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय स्कूलों को खोलने संबंधी समसंख्यक निर्देश दिनांक 23.7.2021 के द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को प्रति कक्षा अधिकतम सप्ताह में 2 दिवस (50 प्रतिशत क्षमता के साथ) संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी। इस निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा 1 सितंबर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 6 से 12 वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान करता है।

2 / शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

2.1 शालाओं में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज लगा हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा 1 भी डेाज का टीकाकरण नही करवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण कराना होगा।

2.2 अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थी उपस्थित हो सकेगे।

2.3 प्राचार्य / प्रधानाध्याक / शाला प्रमुख अपने स्तर से विद्यार्थी संख्या एवं उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षावार शालाएं संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

2.4 शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑन–लाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी।

2.5 दूरदर्शन एवं व्हाटसएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।

2.6 स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से जारी (Standard operating Procedure) समय समय पर जारी एस ओ पी एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रमोद 27/8/2021
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 44–4 / 2020 / 20–2 भोपाल दिनांक 27-8-2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा
4. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश
5. आयुक्त,लोक शिक्षण, म.प्र., भोपाल
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. / आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.
7. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल

7. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
9. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल
10. सचिव, मदरसा बोर्ड, म.प्र. भोपाल
11. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व), म.प्र.
12. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16. आर्डर बुक

27/8/2021

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग